

**फर्द अहकाम**  
**नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी**

संख्या 2024/398 पत्रावली बनाय गौदी लाल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/8/25 01/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। जजुलाय द्वारा कन्डाल-वे/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जायेगी। पत्रावली दिनांक 01/9/25 को पेश हो <u>रिज</u>।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। जजुलाय द्वारा कन्डाल-वे/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जायेगी। पत्रावली दिनांक 01/9/25 को पेश हो <u>रिज</u>।</p>	
31/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील साफी उपस्थित। प्रकरण में वकील साफी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली <del>4 अक्टूबर</del> दिनांक - 10/9/25 को पेश हो।</p>	
10/9/25	<p align="center">उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील साफी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन स्वयं पूर्व बहस पर प्रश्न पश्चात पाते हैं कि वाद गृह्यत शूत्रि वादी स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सह-खाते दारी शूत्रि है जिसका विधि विभाजन हेतु दावा न्यायालय में विचारणीय है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 10/10/24 को वाद गृह्यत शूत्रि <del>संख्या</del> रिकार्ड की सहाय्यता बनाए रखने का स्थगन प्रस्ताव है। वकील साफी ने वाद गृह्यत शूत्रि के मौखिक स्वयं रिकार्ड की सहाय्यता बनाए रखने पर निवेदन किया।</p>	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती

अर्द्धराज

बनाम

जेन्दीलाल

प्रकरण संख्या 2024/398

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>आत! वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षों के पार्श्वों पर सीमा त्रिज्या जाता है कि ता पौलला मूल बंध के वादग्रस्त भूमि 574 व 579 व खसरा नं० 616, 617 स्थित ग्राम बूडथल तहसील बस्ती का उक्तपक्ष मौके स्वयं रिकॉर्ड की शर्तानुसार बनाए रखें। पक्षों को ले कर हो, पाबिल फातल हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
बस्ती जिला-जयपुर